



27
4

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

श्री आर. ७६. ७७
द्वारा आज दि. ५-१-१७ को
प्रस्तुत

R 934-11-

~~का~~
क्लर्क ऑफ कोर्ट ५-१-१७
राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

संगमलाल तनय धर्मनारायण मिश्रा निवासी ग्राम टुड़ियार तहसील कोरांव जिला

इलाहाबाद ३०५०

-----आवेदक

बिरुद्ध

Rising
Shilpa
Sharma
4-1-17

1. श्रीप्रकाश तनय जगदीश प्रसाद
2. ज्ञानप्रकाश तनय जगदीश प्रसाद
3. देवेन्द्रप्रकाश तनय जगदीश प्रसाद
4. बैकुण्ठनाथ तनय प्रयागदास

सभी निवासी मिर्जापुर हाल निवासी सगरा खुर्द तहसील हनुमना जिला

रीवा म०प्र०

5. राजकरण पाण्डेय तनय पदमाक्ष प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम रिंगढी तहसील हनुमना जिला रीवा म०प्र०
6. रामेश्वर प्रसाद तनय सुदर्शन प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम सगरा कला तहसील हनुमना जिला रीवा म०प्र०
7. हिंदू तनय रामगरीब मिश्रा

सभी निवासी ग्राम सगरा तहसील हनुमना जिला रीवा म०प्र०

8. प्र० ७० शासन

-----अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू
राजस्व संहिता बिरुद्ध आदेश अपर कमिश्नर
रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक
860/अपील/2013-14 आदेश दिनांक
09.11.16 मे पारित।

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

1. अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 09.11.16 सर्वथा विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
2. अधीनस्थ न्यायालय ने अपील में एवं लिखित तर्क में उठाए गए बिन्दुओं का तात्विक रूप से विनिश्चयन नहीं किया और किसी भी बिन्दु का निष्कर्ष नहीं निकाला अपील निरस्त करने की धारणा बनाकर वादग्रस्त भूमि को म0प्र0 शासन दर्ज करने का आदेश दिया गलत है, क्योंकि उपरोक्त मामले में पूर्व में आदेश डिप्टी कमिश्नर पूर्वी रीवा जिला रीवा राज्य रीवा कैम्प मऊगंज के प्रकरण क्रमांक 1328/1938 आदेश दिनांक 08.10.1938 को उपरोक्त भूमियां गैवीनाथ ब्राम्हण को मालकाना हक में प्राप्त हुई थी तो पुनः शासन दर्ज करने का कोई प्रकरण में सक्षम दस्तावेज नहीं थे, इस तरह अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक व अधिकार विहीन है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3940-दो/16 एवं निगरानी 93-दो/2017 (जिला-रीवा)

श्रीप्रकाश विरुद्ध संगमलाल

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5/2/19	<p>उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया ।</p> <p>आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू- राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग जिला रीवा द्वारा पारित दिनांक 09-11-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि संगमलाल ने तहसीलदार हनुमना के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र पेश किया कि ग्राम सगरा की भूमि नं0 224 अंश रकवा 1.50 एक एवं भूमि नं0 227 रकवा 13.70 एक का खसरा सुधार किया जाये। तहसीलदार हनुमना ने प्रकरण क्रमांक 29/अ-6-अ/96-97 में पारित आदेश दिनांक 02-8-97 को अभिलेख सुधार किये जाने के आदेश दिये। तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 52/अ-6-अ/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 15-7-2014 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार हनुमना का आदेश दिनांक 02-8-97 निरस्त किया तथा प्रकरण क्रमांक 56/ए-74/2008-09 04-7-09 के अनुसार अभिलेख अद्यतन करने के आदेश दिये। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अनावेदक संगमलाल आदि ने अपर आयुक्त रीवा संभाग के समक्ष अपील पेश की। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 09-11-16 के द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि म0प्र0 शासन दर्ज करने के आदेश दिये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों एवं प्रकरण में प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों का</p>	

W

(Handwritten signature)

अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 05-12-74 के आवेदक के आवेदन पर तहसीलदार ने भूमिस्वामी नहीं माना बल्कि कब्जेदार माना। दिनांक 31-10-83 को अनुविभागीय अधिकारी ने कजा माना परन्तु भूमि शासन की मानी तथा संहिता की धारा 57 के तहत निर्णय हेतु कहा। प्रकरण क्रमांक 1/अ-1/1983-84 में विस्तृत जांच करने के पश्चात आदेश दिनांक 08-11-89 में अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक को भूमिस्वामी घोषित किया। इस आदेश की कोई अपील न शासन की ओर से की गई और न ही संगमलाल द्वारा की गई। व्यवहार न्यायालय से भी इस आदेश को शून्य घोषित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 08-11-89 अंतिम होकर आज भी प्रभाव में है। तहसील न्यायालय में आवेदकगण 1 से 3 के पिता एवं आवेदक क्रमांक 4 को पक्षकार बनाया गया था परन्तु उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई और न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया जाना तहसीलदार की कार्यवाही से दर्शित नहीं होता है। दिनांक 02-8-97 का आदेश दिनांक संहिता की धारा 115/116 का था जिसमें आवेदक उमाकान्त, रामेश्वर आदि ने इंद्राज दुरुस्ती चाही परन्तु उक्त प्रकरण में आवेदक को पक्षकार ही नहीं बनाया जबकि आवेदक को आदेश दिनांक 8-11-89 से भूमिस्वामी घोषित किया गया था ऐसी स्थिति में आवेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। फिर भी संहिता की धारा 115-116 के तहत अनावेदक संगमलाल का नाम भूमिस्वाम का दर्ज करने के आदेश देने में तहसीलदार द्वारा त्रुटि की गई है। तहसीलदार के आदेश को त्रुटिपूर्ण मानकर अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 15-7-2014 से निरस्त किया जा चुका है। दिनांक 02-8-97 की निगरानी अपर कलेक्टर को दिनांक 16-2-09 के यहां तक जिसे अपर कलेक्टर ने समयबाधित मानकर निरस्त किया तथा इसी आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील पेश की गई, जो 2014 में निरस्त की और उसकी अपील अपर आयुक्त के समक्ष की गई। विवाद संहिता की धारा 115/116 का था शासन से संबंधित मुद्दा नहीं था।

4/ अनावेदक संगमलाल की ओर से भी एक और निगरानी अपर आयुक्त के किसी विवादित आदेश दिनांक 09/11/2016 के विरुद्ध राजस्व मण्डल में की गई है जो आदेश दिनांक 04-1-17 से स्वीकार की गई थी। मण्डल के उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष आवेदकगण श्री प्रकाश आदि ने रिट याचिका क्रमांक-899/2017 प्रस्तुत की थी। माननीय उच्च न्यायालय

m

AS
2017

में अपने आदेश दिनांक 05/01/2018 से उक्त याचिका स्वीकार करते हुये मण्डल के आदेश को निरस्त किया जिसके पालन में दोनो निगरानी प्रकरणों में एक साथ सुनवायी की गयी।

5/ प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 08/11/89 से भूमि पर स्वत्व का निराकरण करते हुये आवेदकगण श्री प्रकाश आदि का स्वत्व होना स्वीकार किया था और इस आदेश के होते हुये अनावेदकगण संगमलाल आदि कोई अधिकार अथवा स्वत्व नहीं रह जाता है। दिनांक 8-11-89 के आदेश को किसी वरिष्ठ न्यायालय अथवा सक्षम व्यवहार न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। आदेश दिनांक 8-11-89 के विरुद्ध अनावेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय में चुनौती देने का रास्ता खुला हुआ है। अनावेदकगण के पक्ष में पारित आदेश को अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15-7-2014 से निरस्त किया जा चुका है ऐसी स्थिति में अनावेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि पर कोई अधिकार सिद्ध नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को देखने से पाता हूं कि अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक एवं शासन की सुनवाई एवं विवेचना पूर्ण नहीं की गई है।

6/ उपरोक्त विवेचना एवं परिस्थितियों के प्रकाश में अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 09/11/2016 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सभी पक्षों को सुनकर तथा रिकार्ड एवं पत्रावली का अध्ययन कर विवाद का यथाशीघ्र निराकरण करें। यह आदेश संबंधित प्रकरण क्रमांक निगरानी 93-दो/17 पर भी समान रूप से लागू होगा।

(आर०के० मिश्रा)

सदस्य

राजस्व मण्डल, म०प्र०,
ग्वालियर

